

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 876

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2006/श्रावण 19, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 2006/SRAVANA 19, 1928

No. 876]

### कम्पनी कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 20**0**6

का.आ. 1276(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 9) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, 8 अगस्त, 2006 को उस तारीख़ के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 7, धारा 9, धारा 12, धारा 16 खंड (i) को छोड़कर, धारा 17, धारा 22, धारा 23, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की नई धारा 30घ और धारा 30ङ को छोड़कर प्रवृत्त होंगी।

[फा. सं. 5/27/2006-सी एल-5]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th August, 2006

S.O. 1276(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, (9 of 2006), the Central Government hereby appoints 8th day of August, 2006, as the date on which Sections 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16 except clause (i), 17, 22, 23, 25, 26, 27 and 28 except new Sections 30D and 30E to the Chartered Accountants Act, 1949 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 5/27/2006-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secv.

2446 GI/2006